

निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,

23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

पत्रांक: 15 / 17(मुख्य)/भाग-3/वा0स्था0/नि0को0पें0ह0/2019

दिनांक 02 अप्रैल, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

शासन की अधिसूचना संख्या 12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-01, वर्ष 2018) में किये गये प्राविधानों तथा कार्मिक अनुभाग-2 का शासनादेश संख्या 102/XXX(2)/18/30(13)/2017 दि0 14 अप्रैल, 2018 द्वारा सभी विभागों में राज्य के जनपदों का सुगम-दुर्गम क्षेत्र का निर्धारण निम्न प्रकार से किया गया है।

सुगम जनपद- 1. देहरादून 2. हरिद्वार 3. उधमसिंहनगर 4. नैनीताल 5. अल्मोड़ा 6. टिहरी

दुर्गम जनपद- 1. पौड़ी 2. उत्तरकाशी 3. चमोली 4. रुद्रप्रयाग 5. चम्पावत 6. बागेश्वर 7. पिथौरागढ़

अधिनियम की धारा-23 के अन्तर्गत कार्य स्थलों का मानक के अनुसार चिह्निकरण का प्रकटन उक्तानुसार किया जाता है।

(एल0एन0पन्त)
निदेशक।

संख्या व दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी/सहायक कोषाधिकारी/सहायक कोषाधिकारी(रोकड़) को सूचनार्थ एवं अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. वित्त अधिकारी, भुगतान एवं लेखा कार्यालय, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं अवलोकनार्थ प्रेषित।

(एल0एन0पन्त)
निदेशक।

2/4/19